

मालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी

फर्द अहकाम

30/7/25 आज महे पत्रावली वकील कादीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र पर हलब की गई। वकील कादी, इवीक ने उपस्थित होकर आवगत कराया है कि पक्षगारण में लगे अदालत की शर्तों से राजीनामा हो गया है इसलिए मुकदमा को फागे चलाकर नहीं चलाए है। कादीगण का शर्त एवं 7-9 प्रमाण पत्र Not प्रेस में खारिज कर दिया गया।

दूबिन

14/08/25
 M. P. P. P.
 12.

क्र. नं. मु. नं. 144/2022, मिराल
 आई.डी. नं. 2092/297 उमवामी इमराम
 व नाम कपूर मुखान इका काकर घोषणा
 खोलेदारी, लकाएफ एव स्वामी निषेधाज्ञा
 Not प्रेस में खारिज किया गया है।
 पत्रावली फैसल मुनाए होकर बाद
 तकमील नाम ल... का कर की गजक
 इतिहास इकर है।
 कोडेश खुले मापालम में
 सुनाया गया।

.....
